कार्यालय प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत पत्रांक-र्2 ५० । ∕ 15-1, पीलीभीत, दिनांक । ⟨८ /८० / ∕202 ८

सेवा में,

वन संरक्षक /फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाईगर रिजर्व, पीलीभीत।

विषय :- जनपद पीलीभीत में बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम०डी०आर०-62) कि०गी० 3.807 से 3.842 के मध्य वॉयी पटरी पर ग्राम-मानपुर, तहसील-बीसलपुर, जिला-पीलीभीत स्थित खसरा/गाटा सं0-3/1 में वी०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.061624 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- जत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक-पी-52/81-2-2019-800 (74)/2019 दिनांक-09.9.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक 11सी514/FP/UP/Others/21754/2016 दिनांक 11.9.2019

महोदय.

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से जनपद पीलीमीत में बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम०डी०आर०-62) कि०मी० 3.807 से 3.842 के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम-मानपुर, तहसील-बीसलपुर, जिला-पीलीमीत स्थित खसरा/गटा सं0-3/1 में वी०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.061624 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रवत्त निम्नलिखित शर्ती/प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है जिस पर प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त आख्या एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नानुसार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित प्रेषित है।

Observe No.	Conditions	Status of Complience		
1	The forest land to be diverte for approach/access should not be more than 0.1 ha in each case.			
The clearance of such approach/access to devlopment of project shall be subject to condition that the project is need based.		अनुपालन किया जायेगा।		
3	The legal status of the land shall remain unchanged.	अनुपालन किया जायेगा।		
		नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।		
5	The project site should be outside Protected Area Network and eco-sensitive zone(ESZ).	eco- sensitive zone(ESZ) से बाहर है।		
6	The concerned Divisional forest Officer shall assess the bare minimum requirement of the forest land for the project which shall not exceed 0.1 ha in each case and will also certify to this effect.	अनुपालन किया जायेगा।		
7	The user agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief Conservator for Forests and from State/UT Government.	अनुपालन किया जायेगा।		
8	The Nodal Officer (Forest Conservator) shall submit monthly report to the concerned Regional office by 5 <sup>th</sup> of every month regularly regarding approval of such cases.	अनुपालन किया जायेगा।		
9	The User Agency shall plant minimum 50 plants or 10 times the no. of trees/plants to be filled whichever is more on Government land to be dentified and certified by DFO.	50 पौधों के रोपण का प्राक्कलन संलग्न है।		

ANUPALAN AAKHYA

		नियमानुसार एन०पी०वी० की धनराशि रू० 57865.00		
10	The User Agency shall pay the Net Present Value (NPV) of the diverted forest land at	DADDV		
	the rates approved by the Ministry.			
11	The User Agency shall be responsible for any loss to flora/fauna in the surroundings and therefore, shall take all possible measures in this regard.	अनुपालन किया जायेगा।		
12	The permission granted by the State/UT Government shall be subject to the monitoring by the concerned Regiona Office of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	अनुपालन किया जायेगा।		
The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the		अनुपालन किया जायेगा।		
14	Entire process for settlement of right in accordance with the provisions of FRA, 2006 shall be completed before grant of approval for diversion of such forest land.			
15	The State/UT Forest Department or State/UT Government or the concerned Regional office, may impose any other condition from time to time in the interest of conservation, protection and/or development of forests			
16	वन भूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रयेश भारत सरकार के सडक परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाइन्स दिनांक-24-7-2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर होगा।			
17	सडक के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाये, जिसमें फ्यूल			
18	फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1x1.5 मीटर) कम छन्न के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के मूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।			
19	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०,दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०),क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथ योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तत्पश्चाद ही विधिवत् रवीकृति पर विचार किया जायेगा।	ारट पिटाशन (स्थितिक) 2027 1995 के जारत आई0ए० संख्या—568 एवं भारत सरकार के प्र संख्या—5-3/2007—एफ०सी०,दिनांक 05—02—200 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल (एन०पी०वी०),क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ए अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निर्मा प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण, (Compensator Afforestation fund,Management an		

20	उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अविध के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवयकता न रहे, वन विभाग,उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थित वापस प्राप्त हो जायेगी।	
21	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन०पी०वी० संशोधित होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।	पर संलग्न है।
22	भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3/2007—एफसी (पीटी), दिनांक 19—8—2010 तथा पत्र संख्या—J—11013/41/2006—IA —II(I), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्वत करना होगा कि उन्होंने यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ मेशन वोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग—अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।	के साथ सलग्न है।
23	समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	
24	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार /राज्य सरकार/मा0न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक11-9/98-एफसी,दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशों-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shape) फाइल में दर्शाया गया है।	संलग्न है।
26	प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फं उ०प्र० वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रकिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग,फैलिंग,लांगिंग एवं ट्रान्सपोट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में 'दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।	
27	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उत्लिखित समस्त शर्तो / प्रतिवधों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये, तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृत निर्गत की जायेगी।	प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शतों / प्रतिवद्यों के अनुपालनार्थ प्रमागीय निदेशव द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन सम्बन्ध अनुपालन आख्या प्रस्तुत है।

संलग्नकः- यथोपरि।

(संजीव कुमार) प्रमागीय निदेशक, वन एवं वन्जयीव प्रमाग, पीलीभीत

/ 15-1 दिनाँकित।
प्रतिलिपि प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

ANUPALAN AAKHYA

सामाजिक वानिकी प्रभाग अपीलीभीत

#### BANK COPY S CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

2021

Name.	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED
Application No.	19921754657
MoEF/SG File No.	P-52/81-2-2019-800(57)/2019
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Bharat Petroleum Corporation Limited, Bharat Bhavan, 4 & 6, Currimbhoy Road, Ballard Estate, P.B.No. 688, Mumbai – 400 001 Mumbai City
Amount(in Rs)	128565/-

Amount in Words :One Lakh Twenty-Eight Thousand Five Hundred and Sixty-Five Rupees Only

## NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA CORP0000371 1509019921754657 Valid only for this challan amount.		
IFSC Code:			
Pay to Account No.			
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003		

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

zy send a line of confirmation through

SARAY 21069 162618



25 311064

# **UNDERTAKING**

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District -Pilibhit (UP). As per Compliance 1, Bharat Petroleum Corporation Limited hereby undertakes that the area of proposed Forest land to be diverted for entry/exit approach to BPCL Retail Outlet is less than 0.1 ha.

> (Authorized Signatory) nand Territory Manager (Retail)

Bharat Petroleum Corporation Ltd.

# **UNDERTAKING**

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 2, the Protected Forest Land is proposed for diversion for entry/exit approach to BPCL Retail Outlet and therefore, it is a need based project.

(Authorized Signatury Retail)

Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Barrilly Territory

Barrilly Territory

Bharat Petroleum Corporation Limited
Territory Bareilly

## UNDERTAKING

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District -Pilibhit (UP). As per compliance 3, Bharat Petroleum Corporation Limited hereby undertakes that as per Forest (Protection) Act, 1980 legal status of the land will not be changed.

(Authorized Signatory)

Territory Manager (Retail) Bharat Petroleuly Corporation Ltd.
Bareilly Ichilory Limited

## **UNDERTAKING**

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 4, the project proposal has been submitted online under the forest (Conservation) Rules, 2003 to the state government in prescribed format Bharat Petroleum Corporation Limited, Territory Bareilly.

Sanjay Anand
Authorized Signatory (Retail)

Bareilly Territory

Bharat Petroleum Corporation Limited
Territory Bareilly

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 5, Bharat Petroleum Corporation Limited hereby undertakes that the project is outside protected area network and eco-sensitive zones (ESZ).

(Authorized Signatory)d

Bharat Petroleum Corporation ted
Territory Bareilly Territory

# UNDERTAKING

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 6, **Bharat Petroleum Corporation Limited** hereby undertakes that Divisional Forest Officer, Forest & Wildlife Division Pilibhit has certified that bare minimum requirement of the forest land for the project is less than 0.1 ha

(Authorized Signatory) (Retail)

Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Respilly Territory

Bharat Petroleum Corporation Limited

cortified that have minimum requirement of the forest land for the project is less

# UNDERTAKING

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 7, Bharat Petroleum Corporation Limited hereby undertakes that no work will be done on proposed forest land without prior approval by principal chief conservator for Forest and from State/UT Government.

(Authorized Signatory)

Bharat Petroleum Corporation Ltd

Bareilly Territory

Bharat Petroleum Corporation Limited
Territory Bareilly

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District -Pilibhit (UP). As per compliance 8, the Nodal Officer (Forest Conservator) will submit monthly report to the concerned Regional Office by 5th of every month regularly regarding approval of such cases.

> (Authorized Fignatory) Territory Manager (Retail) rat Petroleum Corporation Ltd

Bharat Petroleum Comparation Limited

# UNDERTAKING

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District -Pilibhit (UP). As per compliance 9, Bharat Petroleum Corporation Limited hereby undertakes that it will plant minimum 50 plants or 10 times the number of trees/plants to be felled whichever is more on Government land to be indentified and certified by DFO.

> Sanjay Anand (Authorized Signatery) (Retail) Bharat Petroleum Corporation Ltc. Bareilly Territory
>
> Bharat Petroleum Corporation Limited

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम०डी०आर०-62) के कि०मी० 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं०-3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि शुद्ध वतर्मान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपुरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकारण की धनराशि रू० 128565.00 ई-चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा करा दी गयी है एवं इसका चालान भी संलग्न कर दिया गया है।

क्रम सं0	विवरण / मद	धनराशि (रू०में)	फण्ड ट्रांसफर का प्रकार	दिनांक	यू०टी०आर० नं०
	2	3	4	5	
1	शर्त संख्या-19 के अनुपालन वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव / (सी०ए०)	7,0700.00 रूपये	एन.ई.एफ.	10.03.2021	BARBY2106716 2618
2 श	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.061624 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (9.39 लाख प्रति हे0 की दर से)/(एन0पी0वी0)	57865.00 रूपये			
	योग-	128565.00 रूपये			

Sanjay Anand
(प्राधिकृत कार्य श्रिकां (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd

भारत पेट्रोलियम कॅमिप्पेरिशनि सिम्बिटेड टेरीटॅरी बरेली

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District -Pilibhit (UP). As per compliance 11, Bharat Petroleum Corporation Limited hereby undertakes that there will be no loss to flora/fauna in the surroundings and therefore, shall take all possible measures in this regard.

> Territory Manager Bharat Petroleum Corporation Ltd

Bharat Petroleum Canadiation ...mited

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 12, Bharat Petroleum Corporation Limited hereby undertakes that the permission granted by the State/UT Government will be subject to the monitoring by the concerned regional office of the Ministry of Environment, Forest & Climate change.

(Authorized Signatory) (Retail)

Bharat Petroleum Corporation Like
Barat Petroleum Corporation Limited

Territory Bareilly

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District -Pilibhit (UP). As per compliance 13, Bharat Petroleum Corporation Limited hereby undertakes that that the forest land will only be used for purpose specified in project proposal.

> (Authorized Signatory Cetail) Bharat Petroleum Corporation Ltd Bharat Petroleum Corporation Limited

## **UNDERTAKING**

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 14 Bharat Petroleum Corporation Limited hereby undertakes that entire process for settlement of rights in accordance with the provisions of FRA, 2006 has been completed before grant of approval for diversion of proposed forest land.

(Authorized Signatowiil)
Territory Manager (Authorized Signatowiil)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Bharat Petroleum Corporation Limited
Territory Bareilly

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 15, Bharat Petroleum Corporation Limited hereby undertakes to follow conditions imposed from time to time in the interest of conservation, protection and/or development of forest by the State Forest Department of UP Government or the concerned Regional Office.

(Authorized Signatory)

Territory Manager (Retail)

Bharat Petroleum Corporation Limited Bareilly Territory Bareilly

प्रस्तावक विमाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम०डी०आर०-62) के कि०मी० 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं० 3/1. ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल प्रस्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि वनभूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाईन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत ले आउट प्लान के आधार पर होगा।

(प्रश्लित्व क्रेस्तामप्रकर्ता)
Territory Manager (Retail)
माउतकाष्ट्रोक्तियंगाक्तिरक्षिणां लिमिटेड
Ba्ट्रेड्रिश वर्रली

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम०डी०आर०-62) के कि०मी० 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं0-3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि सड़क के किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगायी जाएगी, जिसमे प्रयूल स्टेशन का लोकेशन अंकित किया जाएगा।

(प्राधिकृत बुस्तामार्क्षणी and Territory Manager (Retail) भारत पेट्रोसियाम क्यारपोवेश विविधके Ltd

टेशेट्सिंब इस्ति Territory

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम०डी०आर०-62) के कि०मी० 3.807 से 3.842 के मध्य बांधी पटरी पर, खसरा सं० 3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि स्थापित पेट्रोल पम्प की चहारविवारी से 1.5 मीटर की दूरी बनाये रयते हुए परिसर के चारों तरफ कम छत्र वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा जिसमें वृक्षों की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जाएगी।

प्राधिकृत हैसी बरकेती विकास किया के प्राप्त के प्राप्त

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम०डी०आर०-62) के कि०मी० 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं०-3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि वनभूमि निधारित अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि उसकी प्रस्तावित रिटेल आउटलेट हेतु आवश्यकता रहे। यदि उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो आवश्यक न हों, वो वन विभाग, उ०प्र० सरकार को यथास्थित वापस कर दिया जायेगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षाप्रसामीतो Territory Manager (Retail) भारत पेट्टोलियम् स्वित्सारेशानेकृतिकिरेडार्ट टेरीडेडीलब्रेप्सेलांक्रेरीकार्य

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर—बिलसण्डा मार्ग (एम०डी०आर०—62) के कि०मी० 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं० 3/1, ग्राम—मानपुर, जिला—पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन इते पारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि यदि इस अवधि में संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु मॉग की गयी एन०पी०वी० की धनराशि की दर में भविष्य मे भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से जित्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

Sanjay Anand
(प्राधिकात असम्बद्धकार किया)
Bharat Petroleum Corporation Ltd
प्राप्त पेट्रोलिकात अर्थे पोरेशन अलिमिटेड
टेरीटेरी बरेली

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम०डी०आर०-62) के कि०मी० 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं०-3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पन्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अन्ग्रपत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(प्राधिकृताहरजाहरकाहर Territory Manager (Retail) भारत विद्रोशियम कार्याप्राप्त Ltd

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम०डी०आर०-62) के कि०मी० 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं० 3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

(प्राधिकृत क्रम्यासस्यक्ती) d Territory Manager (Retail)

मारत पेट्रोलियम कॉरपोर्रशम लिक्टिडि

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम०डी०आर०-62) के कि०मी० 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं० 3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि प्रस्तावित वन भूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ०प्र० वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु कटिंग, फैलिंग लॉगिंग एवं ट्रान्सपोट्रेशन चार्जेज तथा वृक्षों के छापान का व्यय भी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा वन विभाग को भुगतान कर दिया जाएगा।

प्राधिकत हर्स्य स्टब्स्य (प्राधिकत हर्स्य स्टब्स्य (प्राधिकत हर्स्य स्टब्स्य (Retail) Territory (Retail) शारत पेट्रालियम क्राध्यारेशकां किमिटेड टेरीटॅरी बरेली

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम०डी०आर०-६२) के कि०मी० 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं०-3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रमागीय निर्देशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बंधी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जायेगा।

(प्राधिकत क्रम्बासकर्ता) Sandy Manager (Retail)

B देखेरॅरी व्यरेली